राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ. 13(6)खा.वि./आवंटन/2019 जयपुर, दिनांक: 08.02.2019

संशोधन आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अन्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल श्रेणियों को 1/- रूपए प्रति किग्रा. की दर से गेहूँ वितरण योजना

विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 13(6)खा.वि./आवंटन/2019 दिनांक 07.02.2019 के **प्रथम पैरा मे लिपिकीय टंकण त्रुटि के कारण निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-**

"राज्य सरकार के अनुमोदन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अन्तर्गत 1 जनवरी, 2019 को अन्त्योदय (AAY) के 28 लाख, बीपीएल (BPL) के 29 लाख एवं स्टेट बीपीएल (SBPL) के 1 करोड़ 17 लाख कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 01 मार्च, 2019 से 1/- रूपए प्रति किग्रा. की दर से गेहूँ वितरण की नवीन योजना प्रारम्भ की जा रही है।"

को आंशिक संशोधन के उपरान्त निम्नानुसार पढ़ा जाए-

"राज्य सरकार के अनुमोदन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अन्तर्गत 1 जनवरी, 2019 को अन्त्योदय (AAY) के 28 लाख, बीपीएल (BPL) के 1 करोड़ 17 लाख एवं स्टेट बीपीएल (SBPL) के 29 लाख कुल 1 करोड़ 74 लाख लाभार्थियों को 01 मार्च, 2019 से 1/- रूपए प्रति किग्रा. की दर से गेहूँ वितरण की नवीन योजना प्रारम्भ की जा रही है।"

यह संशोधन लिपिकीय टंकण त्रुटि के निवारण हेतु जारी किया जा रहा है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(मातादीन शर्मा)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

क्रमांकः एफ. 13(6)खा.वि./आवंटन/2019 जयपुर, दिनांकः 08.02.2019

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राज. रा. खा. एवं ना. आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग/विधिक माप विज्ञान विभाग, जयपुर।
12. महाप्रबन्धक (प्रशासन/वित्त/विपणन), रा.रा.खा. एवं ना.आ.निगम, जयपुर।
13. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक/तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
16. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
17. रक्षा पत्रावली।

8/2/19

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव